आदेश	कार्यवाही विवरण
18/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी उप०। वादी एवं वकील वादी को बार-बार खड़-खड़ कर आवाज लगाई गई, परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं होने से वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्जा नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील आपा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested